तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 19/19 गुरमीत कौर बनाम सुखी देवी 212 आर.टी.ए.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.07.2019	वकुलाए फरीकेन हाजिर। संक्षेप में तथ्य है कि विवादित भूमि अप्रार्थी सं. 1 सुखी देवी पत्नी बख्तावर सिंह के नाम चक 38 पीएस के पं.नं. 279/301 मु.नं. 50 के 1.265 है0 व मुं.नं. 57 के पं.नं. 279/302 में 2.026 कुल 3.291 है0 खातेदारी भूमि दर्ज है तथा दुलरासर बारानी के मु.नं. 96 पं.नं. 263/318 के 3.795 है0 बारानी भूमि गुरमीत सिंह पुत्र बख्तावर सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि अप्रार्थीया को विरासत में मिली है तथा मृतक गुरमीत सिंह को उक्त भूमि जरिये वसीयत में मिली है। प्रार्थीया व अप्रार्थीया आपस में पुत्री व माता है। जो एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त भूमि में प्रार्थीया का हक नही बनता है। इस प्रार्थना–पत्र में किसी का हक तय नही किया जाना है। जो मूल वाद में दोनो पक्षो का साक्ष्य लिया जाकर मेरिट के आधार पर तय होना है। फिलहाल स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण होना है। अप्रार्थी अपने नाम दर्ज भूमि होने के कारण बेचान करती है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीया का न होकर प्रार्थीया की होगी। जिससे अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होगा। उक्त विवेचन के आधार पर दिनांक 01.04.2019 को जारी स्थगन आदेश को मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसले मे शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (संदीप कुमार) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner